निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 68 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी** के माह 05/2017 से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, श्री मनीष श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री गौरव रावत, लेखापरीक्षक द्वारा श्री जगमोहन सिंह रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 20/10/2018 से 31/10/2018 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आर.एन. यादव एवं श्री राजेश डोभाल एवं श्री डी के मट्टू, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 11/05/2017 से 17/05/2017 तक श्री नीरज चुंगू वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 08/2016 से 04/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2017 से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार : **अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी** में लोक निर्माण विभाग के निर्माण एवं रख-रखाव के कार्य/ कार्य क्षेत्र वृत-टिहरी एवं उत्तरकाशी ।
   इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिया जाता है।

(II) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष	
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `	आधिक्य (+)	बचत (-)
2016-17	-	-	731.86	731.86	1920.80	1900.01		20.79
2017-18	-	-	830.30	830.30	2205.36	2205.16		0.20
2018-19 (upto 09/2018)	-	-	694.90	443.42	9950.09	727.96		

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः (धनराशि रु लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत
2016-17	शून्य				
2017-18					
2018-19					

(III) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना को सम्मिलित न करते हुए इकाई की श्रेणी C है।

(IV) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव
2. प्रमुख अभियंता
3. मुख्य अभियंता
4. अधीक्षण अभियंता
5. अधिशासी अभियंता

(V) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण

एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 05/2018 को विस्तृत जांच हेतु अधिक व्यय के आधार पर चयनित किया गया। विस्तृत जांच हेतु लेखापरीक्षा अवधि में अधिक व्यय के आधार पर " उत्तरकाशी के तिलोथ में भागीरथी नदी पर 42 मीटर स्पान के दो लेन गार्डर सेतु का निर्माण " का चयन किया गया।

(VI) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक 06/02/2016 से 06/07/2017 तक निरीक्षण किया गया।
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी माह 09/2014 तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी माह 03/2017 तक की गई।
5. फार्म 51: माह 09/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः- (धनराशि रु मे)।

   भाग प्रथम ` (-) 226589.00 /-

   भाग द्वितीय ` 89895.00 /-
6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह लागू नहीं के अन्त में (धनराशि रु मे)

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम ` 3617649.00 /-

   (ख) सामग्री क्रय शून्य

   (ग) नगद परिशोधन शून्य

   (घ) निक्षेप ` 59680761.00 /-

   (ङ) भण्डार ` 3617649.00 /-

भाग-II(ब)

प्रस्तर-1 वित्तीय नियमो की अवहेलना करते हुये अवरुद्ध कार्य पर रु 252.16 लाख का अलाभकारी व्यय के साथ-साथ कार्य की लागत में वृद्धि ।

As per Financial handbook Volume-VI Clause:

316- (1) *Original* – For every work (excluding petty works and repairs) it is necessary to obtain in the first instance the concurrence of competent authority of the Administrative Department requiring a work. Formal acceptance of the proposal by that authority is termed "administrative approval" of the work and it is the duty of local officer of the department requiring a work to obtain the requisite approval to it.. The procedure prescribed in this rule will apply also to modifications of proposals originally approved if, by reason of such modifications, revised administrative approval becomes necessary, and to material deviations from the original proposals, even though the cost of the same may be covered by saving onother items.

(2) Revised – When expenditure on a work exceeds, or is likely to exceed,the amount administratively approved for it by more than 10 per cent, or where there are material deviations from the original proposals, even though the cost of the same may possible be covered by savings on other items, revised administrative approval must be obtained from the authority competent to approve the cost, as so enhanced.

TECHNCAL SACTION

318. For every work proposed to be carried out except petty works and petty repairs, and repairs for which a lump sum provision has been sanctioned by the superintending engineer, under paragraph 349, properly detailed estimate must be prepares for sanction by competent authority. This sanctions is known as technical sanction to the estimate and it must be obtained before work is commenced.

उत्तराखंड शासन द्वारा जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोली के अंतर्गत जनपद मुख्यालय उत्तरकाशी के तिलोथ मे भागीरथी नदी पर अतिरिक्त 54 मी0 स्पान दो लेंन स्टील गर्डर मोटर सेतु के निर्माण के प्रथम चरण के कार्य हेतु प्रमुख अभियंता, लो0 नि0 वि0, देहरादून के पत्र स0 1851/13 यता (क)-उ0/2013 दिनांक 24.10.2013 के संदर्भ मे रु 33.80 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान (अक्टूबर 2013) की गयी थी। तत्पश्चात क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लो नि0 वि0, देहरादून के द्वारा उपलब्ध कराये गए विस्तृत आगणन के आधार पर शासन दारा 42 मी0 स्पान के दो लेंन स्टील गर्डर सेतु के निर्माण हेतु रु 839.85 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी (मार्च 2015)।जिसकी विभाग द्वारा रु 562.00 लाख की आंशिक प्राविधिक स्वीकृति (**16.02.2016)** प्रदान की गयी। उक्त कार्य के निष्पादन हेतु निविदा आमंत्रित **(नवम्बर 2015**) की गयी जिसकी फ़ाईनेन्सियल बिड़ **20 जनवरी 2016** मे खोली गयी।जिसके उपरांत एकल आधार पर एक अनुबंध 01/SE-6/2016 दिनांकित **27 अप्रैल 2016** रु 579.76 लाख हेतु गठित की गयी (अनुमानित लागत से 7.29 प्रतिशत

अधिक) **जिसके अनुसार कार्य पूर्ण होने की तिथि 08.11.2017 थी।** VIth रनिंग बिल दिनांकित 13.06.2018 के अनुसार वर्तमान तक कार्य पर कुल व्यय रु 252.16 लाख था जबकि फार्म -64 (सितंबर 2018 के अनुसार) के अनुसार कार्य पर कुल व्यय रु 304.98 लाख था।

अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लो0 नि0 वि0, उत्तरकाशी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा मे पाया गया (अक्टूबर 2018) कि खंड द्वारा उक्त कार्य के निष्पादन हेतु वित्तीय हस्तपुस्तिका वाल्यूम-VI का उल्लंघन करते हुये सेतु के निर्माण हेतु न केवल प्राविधिक स्वीकृति के पूर्व निविदा आमंत्रित करते (नवंबर 2015) हुये फ़ाईनेंसियल बिड खोली गयी (जनवरी 2016) अपितु एकल आधार 7.29 प्रतिशत रु (39.39 लाख) अधिक लागत पर अनुबंध भी गठित (जून 2016) किया गया। खंड की लेखापरीक्षा मे पुनः यह पाया गया कि सेतु के निर्माण हेतु ठेकेदार द्वारा पुनरीक्षित ड्राईंग की IIT, Bombay से vetting प्राप्त होने (सितम्बर 2017) से पूर्व ही न केवल सेतु के foundation का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था जबकि प्राविधिक स्वीकृति मे स्पष्ट निर्देश दिये गए थे, कि कार्य प्रारम्भ किए जाने के पूर्व ड्राईंग को पूर्ण रूप से vetting करा ली जाय। इसके अतिरिक्त कार्य की प्रगति के समय ही वेल फ़ाउंडेशन की गहराई 8 मी0 से बदलकर 10 मी0 एवं superstructure की ऊंचाई 6 मी0 से बढ़ाकर 8.5 मी0 करने का निर्देश विभाग दारा दिये गए , जो न केवल वित्तीय नियमावली का उल्लंघन था अपितु जिसकी सुरक्षा संबन्धित मापदंडो की ज़िम्मेदारी vetting agency द्वारा भी नहीं ली गयी थी। पुनः ठेकेदार दारा ड्राइंग मे परिवर्तन होने के कारण भुगतान दरो मे विवाद होने के कारण उक्त कार्य का निष्पादन रोक दिया गया (जून 2018) अपितु अनुबंध की निर्धारित समाप्ति तिथि के 12 माह बाद भी कार्य की प्रगति अभी भी अपनी आरंभिक स्थिति मे थी।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर मे बताया गया कि River Protection Work जिसके हेतु रु 349.25 लाख का प्रावधान किया गया था, का कार्य Irrigation Department द्वारा करा दिये जाने के कारण उक्त कार्य को प्राविधिक स्वीकृति में नहीं लिया गया जबकि प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व Financial Bid खोले जाने के सन्दर्भ में बताया गया कि कार्य आपदा से संबन्धित होने तथा अति महत्वपूर्ण श्रेणी का होने के कारण स्वीकृति की प्रत्याशा मे निविदा जारी की गयी तथा वित्तीय स्वीकृति के बाद पुनः स्थल निरीक्षण/डिज़ाइन -ड्राइंग पूर्ण करने मे समय लगने के कारण प्राविधिक स्वीकृति मे देरी हुयी। पुनः एकल आधार पर एवं अधिक लागत पर अनुबंध गठित किए जाने के संबंध मे खंड द्वारा बताया गया कि सुरक्षा को देखते हुये कार्य शीघ्र कराये जाने हेतु एकल आधार पर अनुबंध गठित किया गया एवं त्रुटि वश अनुमानित लागत मे 25% overhead charges प्रविधानित न किए जाने के कारण लागत अधिक प्रतीत थी। खंड द्वारा यह तथ्य स्वीकार्य किया गया कि कार्य पूर्ण होने मे देरी का कारण ड्राइंग मे परिवर्तन का होना था एवं उक्त मे परिवर्तन के कारण मदों के विचलन के भुगतान का विवाद Adjudicator के द्वारा निर्णय देने के उपरांत ही कार्य को प्रारम्भ किया जा सकेगा। स्टोन ब्लास्टिंग से सुरक्षा के संबंध मे खंड द्वारा बताया गया कि उक्त का कार्य के निष्पादन एवं सेतु से कोई संबंध नहीं है।

खंड का उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि खंड के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने से लेकर कार्य निष्पादन तक खंड द्वारा विभिन्न स्तरो पर न केवल डिज़ाइन ड्राइंग मे परिवर्तन किया गया अपितु वित्तीय नियमावली का उल्लंघन भी किया गया जिससे अनुबंध समाप्ति के 01 वर्ष बाद भी कार्य अपने आरंभिक स्तर

(अपूर्ण) पर बंद था जिससे कार्य पर व्यय रु 252.16 लाख एक अलाभकारी व्यय था। इसके अतिरिक्त खण्ड द्वारा कार्य के निष्पादन हेतु रु 723.90 लाख का पुनरीक्षित आगणन स्वीकृति हेतु उच्चाधिकारियों को प्रेषित है जो कार्य के निष्पादन में वित्तीय स्वीकृति एवं प्राविधिक स्वीकृति रु 562.00 लाख (सिचाई खण्ड द्वारा रु 349.25 लाख के protection work को छोड़कर) से रु 223.90 लाख आधिक्य व्यय को इंगित करता है ।

भाग-2(ब)

प्रस्तर -2 : बजट खपाने के उद्देश्य से आवश्यकता से अधिक मात्रा का विस्तृत आगणन (Inflated Estimate) तैयार करना (रु 2.20 करोड़) एवं कार्य पूर्ण होने के दो वर्ष बाद भी बचे धन को समर्पित न करना

उत्तरकाशी-घनशाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग के सुदृढीकरण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (माह दिसंबर 2013 मे) रु 1782.14 लाख की प्रदान की गयी थी एवं प्राविधिक स्वीकृति (माह फरवरी 2014) इतनी ही राशि की मुख्य अभियंता स्तर-Iद्वारा स्वीकृत की गयी थी।

अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लो0 नि0 वि0, उत्तरकाशी की लेखापरीक्षा (माह अक्तूबर 2018) मे पाया गया कि उपरोक्त कार्य माह नवंबर 2016 मे पूर्ण हो गया था एवं माह मार्च 2017 मे ठेकेदार के देयक का अंतिमीकरण कर दिया गया था । मासिक लेखे के अनुसार आतिथि तक कार्य पर कुल व्यय रु 1562.25 लाख का व्यय किया जा चुका था किन्तु 02 वर्ष बिताने के बाद भी बचत की धनराशि (कुल स्वीकृति रु 1782.44 - रु 1562.25 लाख = रु 2.20 करोड़) को समर्पित नहीं किया जा सका था। लेखापरीक्षा मे आगे पाया गया कि बजट खपाने के इरादे से आवश्यकता से अधिक मात्रा का आगणन तैयार किया गया अर्थात Inflated Estimated (टीएस) स्वीकृत करवाया गया जिसके परिणामस्वरूप रु 2.20 करोड़ की बचत हुयी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंडीय आख्या मे बताया गया कि PC का कार्य BM/SDBC से पहले कराया गया था जिस कारण Undulation नहीं के बराबर थे BM के मद की बचत हुयी तथा धनराशि शीघ्र समर्पण किए जाने की बात कही। खंड का उत्तर वास्तविकता से परे था एवं लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि

(i) वस्तुस्थिति यह थी कि PC का कार्य माह जनवरी 2013 मे स्वीकृत किया गया था जिसके अंतर्गत खंड द्वारा मार्ग को सतह के undulation भरने एवं BM/SDBC के माध्यम से पुनः Undulation भरने का Estimate काफी बाद मे (मार्च 2014) मे स्वीकृति कराना यह स्पष्ट करता है कि खंड द्वारा अनावश्यक बड़ा-चढ़ा कर आगणन बनाया गया।

(ii) खंड द्वारा बचतों को शीघ्र समर्पण की बात भी तथ्यो से परे है क्योंकि कार्य नवंबर 2016 मे पूर्ण हो गया था एवं ठेकेदार के देयक का अंतिमीकरण का कार्य मार्च 2017 मे कर दिया गया था किन्तु लगभग

दो वर्ष लंबित होने के बाद भी बचत की राशि समर्पण न करना दर्शाता है कि खंड की नियति इस धनराशि को अनावश्यक रूप से खपाने की थी।

अतः रु 2.20 करोड़ का अनावश्यक अधिक मात्रा का आगणन तैयार करना एवं राशि समर्पित न करने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर- 3 : ठेकेदारो को रू॰ 16.38 लाख का अनियमित लाभ पहुंचाना व रू॰ 73.99 लाख का व्यय अनियमित रूप से कार्य पर भारित करना

उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री के अंतर्गत रनाड़ी-डांडागाँव-माजक मोटर मार्ग के किमी 3.5 से 7.00 तक डामरीकरण का कार्य हेतु प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 535/111-(2)/16-03 (एमएलए)/2015 दिनांक 29.02.2016 द्वारा प्राप्त हुई। मुख्य अभियन्ता, टिहरी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी के पत्रांक 1525/616 याता/टि-टी एस/16 दिनांक 14.07.2016 द्वारा रू॰ 235.18 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त तकनीकी स्वीकृति रू॰ 235.18 लाख के सापेक्ष मात्र रू॰ 164.34 लाख के कार्य हेतु निविदा आमंत्रित कर अनुबन्ध गठित किए गए। उक्त कार्य के निष्पादन हेतु पाँच अनुबंध किए गए जिनका विवरण निम्नवत है:

अनुबंध संख्या	कार्य का नाम	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	अनुमानित लागत	अनुबंध लागत	कुल भुगतान
61/EE दिनांक 11.08.2016	मार्ग के 4/27 से 4/40 तक	11.08.2016	10.02.2017	2219023	2212410	3022925
77/EE दिनांक 30.09.2016	मार्ग के 4/40 से 5/20 तक	30.09.2016	29.03.2017	3032236	3020488	3718679
62/EE दिनांक 11.08.2016	मार्ग के 5/20 से 5/40 तक	11.08.2016	10.02.2017	4201266	4190081	4795543
64/EE दिनांक 12.08.2016	मार्ग के 5/40 से 6/20 तक	12.08.2016	11.02.2017	2705141	2700351	2727978
63/EE दिनांक 12.08.2016	मार्ग के 6/20 से 7/20 तक	12.08.2016	11.02.2017	4276020	4262347	4138577
योग				**16433686**	**16385677**	**18403702**

अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी के अभिलेखो की लेखापरीक्षा में पाया गया कि अनुबन्ध के अनुसार सभी कार्य कार्य प्रारम्भ होने के छः माह में समाप्त हो जाने थे परंतु कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि के एक वर्ष से ज्यादा (अप्रैल 2018) व्यतीत हो जाने तक भी किसी भी अनुबन्ध का कार्य पूर्ण नही था। जिसके संबंध में अप्रैल 2018 में ठेकेदारो को अधिशासी अभियन्ता द्वारा कार्य पूर्ण करने हेतु पत्र भी लिखे गए। अनुबन्ध के GPW 9 के अनुसार कार्य समय से पूर्ण न किए जाने पर अनुबंध का 10 प्रतिशत liquidate damage के रूप में ठेकेदारो पर चार्ज किया जाना था जिसकी कुल धनराशि रू॰ 16.38 लाख बनती है। उक्त liquidity damages न लगा कर सीधे तौर पर ठेकेदारो को लाभ पहुंचाया गया है। आगे लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि माह सितंबर 2018 के मासिक लेखे के फॉर्म 64 के अनुसार कुल व्यय रू॰ 258.02 लाख दर्शाया गया था जबकि उक्त कार्य के निष्पादन हेतु गठित अनुबंध के अनुसार कुल व्यय मात्र रू॰ 184.03 लाख था। रू॰ 73.99 लाख (258.02-184.03) का अतिरिक्त व्यय इस कार्य पर भारित किया गया जबकि इसकी कुल रू॰ 235.18 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंडीय आख्या में बताया गया कि

I. तकनीकी स्वीकृत से कम की निविदा आमंत्रित करने के संबंध में कोई भी उत्तर देने में असमर्थ रहा।
II. बरसात में पहुँच मार्ग तथा क्रेरी बन्द रहने के कारण मशीनरी व सामाग्री की आपूर्ति बाधित रही।
III. रू॰ 73.99 लाख का अतिरिक्त व्यय अन्य कार्यों पर व्यय किया गया है जिसे बाद में समायोजित कर लिया जाएगा।

खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुबन्ध की कार्यावधि सितम्बर से मार्च के मध्य थी जिसके मध्य बरसात का मौसम नहीं पड़ता व किसी अन्य कार्य का व्यय दूसरे कार्य पर भारित करना पूरी तरह से अनियमित है।

अतः ठेकेदारो को रू॰ 16.38 लाख का अनियमित लाभ पहुचाने व रू॰ 73.99 लाख का व्यय अनियमित रूप से कार्य पर भारित करने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर -1 : वित्तीय एवं प्राविधिक स्वीकृति के विपरीत रु 118.31 लाख का अनियमित व्यय

उत्तराखंड शासन द्वारा उत्तरकाशी के खंड डुंडा मे थाती- चौदियाधार से धारकोट -मुसड़गाँव व पंचाणगांव मोटर मार्ग के निर्माण कार्य (लंबाई 3.00 किमी) हेतु रु 110.25 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी (मार्च 2008) जिसकी प्राविधिक स्वीकृति पार्ट-I के कार्य हेतु रु 79.52 लाख की प्रदान की गयी थी (जून 2012)। कार्य के निष्पादन हेतु कुल 15 अनुबंध (संलग्नानुसार) कुल रु 67.00 लाख हेतु गठित की गयी जिसके समाप्त होने की अंतिम अवधि माह अक्टूबर 2012 थी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लो0 नि0 वि0, उत्तरकाशी के अभिलेखो की लेखापरीक्षा (अक्टूबर 2018) मे पाया गया कि खंड द्वारा प्राविधिक स्वीकृति रु 79.52 लाख के सापेक्ष न केवल अनुमानित लागत रु 97.29 लाख अगणित कर अनुबंध गठित किया गया अपितु वर्तमान तक कार्य पर कुल व्यय रु 118.31 लाख जो वित्तीय स्वीकृति से रु 8.06 लाख अधिक था, दर्शाया गया था एवं प्रगतिशील था (फार्म -64 सितंबर 2018 के अनुसार)। खंड द्वारा उक्त कार्य से संबन्धित अंतिम भुगतान बिल, आधितक्य/विचलन की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति एवं व्यय विवरण भी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए जा सके।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर मे बताया गया कि कार्य पूर्ण हुये बहुत समय हो चुका है। संबन्धित अधिकारिओ की निर्वाचन मे ड्यूटी होने के कारण लेखापरीक्षा के बिन्दुओ का उत्तर नहीं दिया जा सका जिसे चुनाव उपरांत कार्यालय महालेखाकार को प्रेषित कर दिया जाएगा।

खंड के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि खंड द्वारा संबन्धित अभिलेख एवं लेखापरीक्षा बिन्दुओ का उत्तर पूर्ण रूप से तत्समय प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अतः उक्त अनियमित व्यय रु 118.31 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारिओ के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
29/2001-02	-	3 क
41/2002-03	-	2
04/2004-05	-	1,2
59/2005-06	1,2,3	2
54/2010-11	1	-
07/2012-13	1,2	1,3
58/2014-15	-	2,3,4,6
94/2015-16	1,2	1
15/2017-18	-	1,2,3,4,5,6,7

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
Nil				

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है**। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः** माप पुस्तिका संख्या - 405
2. **सतत् अनियमितताए** : शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।**

	नाम	पदनाम	अवधि
I.	श्री वीरेंद्र सिंह पुंडीर	अधिशासी अभियंता	28.07.17 से 14.09.18
II.	श्री हरीश कुमार	अधिशासी अभियंता	15.09.18 से 10.10.18
III.	श्री वीरेंद्र सिंह पुंडीर	अधिशासी अभियंता	11.10.18 से वर्तमान तक।

4. **विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खंड से संबद्ध रहे।**
   (1) श्री विनोद कुमार वरिष्ठ लेखाधिकारी upto 31.07.2018
   (2) श्री एस.एस. भण्डारी वरिष्ठ लेखाधिकारी 01.08.2018 से वर्तमान तक।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) कौलागढ़,देहरादून को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र - 2